प्रेषक,

जे. एस. मिश्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
उत्तर प्रदेश।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 23 अगस्त, 2004

विषय : *प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक आस्थानों तथा इन क्षेत्रों के बाहर स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों के भवन मानचित्रों की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण।*

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–186/9–आ–3–2003–141 काम्प/2002 दिनांक 15 मार्च, 2003 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके अधीन प्रदेश में औद्योगिकीकरण के प्रोत्साहन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसत/अनुमोदित औद्योगिकीकरण आस्थानों एवं औद्योगिक क्षेत्रों के अन्तर्गत आवासीय व व्यवसायिक भवनों तथा 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के प्रदूषणरहित कुटीर एवं गृह उद्योगों/हल्के एवं सेवा उद्योगों हेतु मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। प्रदेश की औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति, 2004 में यह अपेक्षा की गयई है कि एतद्प्श्चात उक्त व्यवस्था समस्त प्रकार के भवन मानचित्रों पर लागू होगी तथा औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक आस्थानों एवं इन क्षेत्रों के बाहर स्थापित होने वाली अति प्रदूषणकारी ठ़ोगों को छोड़कर शेष औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र अधिकृत आर्कीटेक्ट द्वारा प्रमाणित किए जाने एवं सम्बन्धित विकास प्राधिकरण में दाखिल करने पर स्वतः अनुमोदिन माने जाएंगे।

2. इन सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति 2004 के अनुपालन में प्रदेश में औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्रों की स्वीकृति में सरलीकरण के उद्देश्य से शासन द्वारा विचारोपरान्त निम्न व्यवस्था लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है–

2.1. उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, विकास प्राधिकरणों तथा अन्य शासकीय अभिकरणों द्वारा विकसित/अनुमोदित औद्योगिक आस्थानों एवं औद्योगिक क्षेत्रों के अन्तर्गत स्थित 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल की प्रदूषणरहित औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र ''काउन्सिल ऑफ आर्कीटेक्चर'' में पंजीकृत आर्कीटेक्ट द्वारा यह प्रमाणित किए जाने कि प्रस्तावित निर्माण सम्बन्धित नगर की महायोजना, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा सुरक्षात्मक दृष्टि से नेशनल बिल्डिंग कोड/आई. एस. आई. एवं उसके अधिनी जारी विनियमों, शासनादेश के अनुरूप है एवं सुसंगत औद्योगिक विनियमों अपेक्षाओं के अनुरूप है, ऐसे भवन मानचित्र विकास प्राधिकरण/अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जमा करने पर स्वतः अनुमोदित माने जाएंगे। मानचित्र जमा करते समय उसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज, प्रमाण–पत्र निर्धारित शुल्क जमा किए जाने की रसीद संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे भवन मानचित्र जमा करने की प्राप्ति रसीद ही स्वीकृति मानी जायेगी।

2.2. औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक आस्थानों तथा इन क्षेत्रों के बाहर स्थापित होने वाली अति प्रदूषणकारी उद्योगों को छोड़कर शेष औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र जो "काउन्सिल ऑफ आर्कीटेक्चर" में पंजीकृत आर्कीटेक्ट द्वारा प्रमाणित हों, सम्बन्धित विकास प्राधिकरण में सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं निर्धारित शुल्क जमा किए जाने पर स्वतः अनुमोदित माने जाएंगे। ऐसे भवन मानचित्र जमा करने की प्राप्ति रसीद ही स्वीकृति मानी जाएगी।

3. उपर्युक्त प्रस्तर–2.1 तथा 2.2 में उल्लिखित व्यवस्था निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन लागू होगी–

(I) यह व्यवस्था केवल एकल भवनों के लिए लागू होगी।

(II) प्रस्तावित इकाई/भवन का भूखण्ड औद्योगिक भू–उपयोग के अन्तर्गत स्थित होना चाहिए एवं सम्बन्धित नगर की महायोजना/जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार उक्त स्थल पर उसकी अनुमन्यता होनी चाहिए।

(III) औद्योगिक क्षेत्र/स्थान का ले–आउट प्लान सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होना चाहिए।

(IV) प्रस्तावित निर्माण संरचनात्मक सुरक्षा, भूकम्परोधी व्यवस्था, अग्निशमन सुरक्षा, प्रदष्ज्ञण नियंत्रण एवं अन्य संकटमय दृष्टिकोण से सुरक्षित होना चाहिए तथा उक्त के सम्बन्ध में समस्त अनापत्ति प्रमाण पत्र मानचित्र के साथ सलंग्न होने चाहिए।

(V) प्रस्तावित औद्योगिक इकाई का भूखण्ड औद्योगिक आस्थान/औद्योगिक क्षेत्र के बाहर स्थित होने की दशा में स्थल पर जलापूर्ति, ड्रेनेज, सड़क, विद्युत–आपूर्ति, आदि की व्यवस्था प्रस्तावित औद्योगिक इकाई की आवश्यकता सापेक्ष उपलब्ध होनी चाहिए।

4. कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन तत्काल प्रभव से सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(जे. एस. मिश्र)

सचिव

संख्या–3350(1)/9–आ–3–2004 (आ. ब.) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यही हेतु प्रषित–

1. औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग एवं अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु।
3. अध्यक्ष, समस्त विकास प्रधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य नगर एवं क्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
6. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

(शिवजनम चौधरी)

अनु सचिव